सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 1, रविवार, शाके 1942- नवम्बर 22, 2020	
	Agrahayana 1, Sunday , Saka 1942- November 22, 2020	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 22, 2020

एस. ओ. 416 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्याक 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. 234 दिनांक 03.05.2020, एस.ओ. 244 दिनांक 12.05.2020, एस.ओ. 248 दिनांक 21.05.2020 एवं एस.ओ. 304 दिनांक 27.07.2020 में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में वर्तमान में क्रम संख्या 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है -

"

1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/-

"

[संख्या प. 9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।

Home (Gr.V) Department

Notification

Jaipur, November 22, 2020

S.O. 416:-In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020 (Act No. 21 of 2020), the State Government hereby makes the following amendments in this department's even number notification S.O. 234 dated 03.05.2020, S.O.244 dated 12.05.2020, S.O. 248 dated 21.05.2020 and S.O. 304 dated 27.07.2020 published in Gazette, namely:-

AMENDMENT

In schedule of the said notifications, the existing serial number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

1.	Any person not wearing face mask or face cover (nose and mouth covered properly) in public or work place	500/-

"

[No. F-9(16) Home-5/2020]
By order of the Governor,
Ram Niwas Mehta**,**
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.